

## जैमर की अधिप्राप्ति संबंधी दिशानिर्देश

(हाइपरलिंक)



[cabsec.nic.in](http://cabsec.nic.in) (वेबसाइट)



अधिक जानकारी के लिए



जैमर संबंधी नीति (लिंक)

- जैमर की अधिप्राप्ति के लिए मानदण्ड।
- परीक्षा केन्द्रों पर जैमर के प्रयोग के लिए मानदण्ड।
- जैमर की वर्तमान अनुमोदित मेक/मॉडल की सूची।
- वेन्डरों का पंजीकरण।
- प्रोफार्मा को डाउनलोड करें।
- अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)
- हमसे संपर्क करें।

जैमर मूलतः वे रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसमिटर होते हैं जिन्हें इस प्रकार से तैयार किया जाता है कि वे अपनी रेंज के भीतर रेडियो फ्रिक्वेंसी पर चलने वाले किसी भी उपकरण पर सभी रेडियो संचार को रोक सकते हैं।

दूरसंचार विभाग के अनुसार, जैमर, भारतीय बेतार तारयांत्रिकी अधिनियम, 1933 (आईडब्ल्यूटीए 1933) के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और इस अधिनियम में यह प्रावधान है कि जैमर को रखने और उसके प्रयोग के लिए लाइसेंस आवश्यक है।

विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 के तहत, जैमर प्रतिबंधित मर्चें में शामिल हैं और भारत में जैमर का आयात करने के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय से लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। यह लाइसेंस, सचिव (सुरक्षा) कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय से परामर्श करने के पश्चात प्रदान किया जाता है।

जैमर को रखने और उसके प्रयोग के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारा एफएक्यू खंड देखें (हाइपरलिंक)

## जैमर की अधिप्राप्ति

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों, रक्षा बलों ओर केन्द्रीय पुलिस संगठनों (सीपीओ) द्वारा जैमरों की अधिप्राप्ति और उनके प्रयोग के लिए, सचिव (सुरक्षा) कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा मानक तैयार किए गए हैं। भारत में निजी क्षेत्र के संगठन और/अथवा प्राइवेट व्यक्ति जैमर की अधिप्राप्ति नहीं कर सकते / इनका प्रयोग नहीं कर सकते। इन मानदंडों में जैमर के अनियमित प्रसार को रोके जाने की आवश्यकता के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित किए जाने को ध्यान में रखा गया है कि लगाए गए जैमरों से मौजूदा मोबाइल संचार नेटवर्क में अनावश्यक व्यवधान उत्पन्न न हो।

## जैमर की अधिप्राप्ति के लिए मानदंड

1. सचिव (सुरक्षा), मंत्रिमंडल सचिवालय जैमर की अधिप्राप्ति हेतु अनुमति/स्वीकृति प्रदान करने के लिए नोडल प्राधिकारी हैं।
2. जैमर की अधिप्राप्ति से पहले सचिव (सुरक्षा), मंत्रिमंडल सचिवालय की पूर्व अनुमति निर्धारित प्रोफार्मा (हाइपरलिंक) में अवश्य प्राप्त कर ली जानी चाहिए।
3. जैमर की अधिप्राप्ति केवल मंत्रालयों/विभागों, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, प्रशासनों, रक्षा बलों और केन्द्रीय पुलिस बलों द्वारा ही की जा सकती है।
4. जैमर की अधिप्राप्ति के लिए अनुमति, सुरक्षा एजेंसियों से परामर्श करने के पश्चात प्रदान की जाती है जो उपलब्ध जैमर का डाटाबेस रखती हैं। इस समय, केवल मैसर्स ईसीआईएल और मैसर्स बीईएल द्वारा विनिर्मित जैमर मॉडलों की अधिप्राप्ति ही की जा सकती है। जैमर के मान्यता प्राप्त वेन्डर बनने के इच्छुक केन्द्रीय/राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अपना अपने प्रस्ताव के साथ सचिव (सुरक्षा) कार्यालय को आवेदन भेज सकते हैं। इस प्रस्ताव की सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों, जिनमें केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/संबंधित राज्य सरकार के प्रशासनिक मंत्रालय शामिल हैं, के परामर्श से जांच की जाएगी।
5. वर्तमान में मैसर्स ईसीआईएल और मैसर्स बीईएल द्वारा विनिर्मित जैमर मॉडल का पहले अधिकारियों के बोर्ड (बी.ओ.ओ.) द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। बी.ओ.ओ. में सुरक्षा एजेंसियों, दूरसंचार विभाग और डीआरडीओ से संबंधित अधिकारी शामिल होते हैं।
6. केवल वही मॉडल अधिप्राप्त किए जा सकते हैं जो बोर्ड द्वारा उपयुक्त पाए गए हों। जैमरों के वर्तमान अनुमोदित मेक/मॉडल की सूची इस (हाइपरलिंक) पर प्राप्त की जा सकती है।
7. अनधिकृत विनिर्माताओं से खुली निविदा आमंत्रित करना भारत सरकार की नीति का उल्लंघन है।

8. जेलों में जैमर लगाए जाने हेतु पूर्व अनुमति प्राप्त करने हेतु, सचिव (सुरक्षा), मंत्रिमंडल सचिवालय के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव को प्रस्तुत किए जाने से पहले जेलों में लगाने के लिए अपेक्षित जैमरों की कुल संख्या का, बेतार सलाहकार के स्थानीय कार्यालय, दूरसंचार विभाग, भारत सरकार के परामर्श से जेल प्राधिकारियों द्वारा आकलन किए जाने की आवश्यकता है। जेलों में लगाए जाने वाले जैमरों की संख्या का आकलन करते समय यह अवश्य सुनिश्चित किया जाए कि जेल परिसर से बाहर मोबाइल संचार नेटवर्क प्रभावित न हो।
9. जैमरों की अधिप्राप्ति के लिए सभी प्रकार से विधिवत भरे हुए निर्धारित प्रोफार्मा-1 (हाइपरलिंक) में सचिव (सुरक्षा) का अनुमोदन प्राप्त किया जाए।
10. आस-पास के क्षेत्र में एसपीजी सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों के आवागमन के मामले में, सरकारी ऐजेंसियों द्वारा अधिप्राप्त सभी प्रकार के जैमरों की तैनाती एसपीजी से परामर्श करके की जानी चाहिए।

केंद्र सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधीन परीक्षा आयोजित करने वाले सांविधिक निकायों को भी परीक्षा हॉल में जैमर लगाने की अनुमति है।

**परीक्षा केन्द्रों पर जैमर का प्रयोग करने के इच्छुक परीक्षा आयोजित करने वाले सांविधिक निकायों के लिए मानदण्ड:-**

1. परीक्षाओं के दौरान नकल को रोकने के लिए परीक्षा आयोजित करने वाले सांविधिक निकायों को कम शक्ति वाले जैमर लगाने की अनुमति है। तथापि, यह कार्य उपकरण की अधिप्राप्ति/स्वामित्व के माध्यम से नहीं होगा। उन्हें इसे केवल पट्टा आधार पर लेने की अनुमति होगी और इसलिए, उन्हें परीक्षा की किसी विशिष्ट तारीख को ही जैमर का प्रयोग करने के लिए भुगतान करना होगा।
2. परीक्षा आयोजित करने वाले निकाय, देश भर में सभी केन्द्रों पर जैमर लगाने के बजाय पिछले अनुभव और अन्य जानकारियों के आधार पर संवेदनशील परीक्षा केन्द्रों पर ही जैमर लगाने पर विचार कर सकते हैं।
3. इसके लिए मैसर्स ईसीआईएल और मैसर्स बीईएल द्वारा अनुमोदित जैमर मॉडल ही लगाए जा सकते हैं।
4. परीक्षा आयोजित करने वाले सांविधिक निकाय, परीक्षा केन्द्रों, जहां जैमर लगाए जाने हैं, के ब्यौरे के साथ अनुमोदित प्रोफार्मा-II (हाइपरलिंक) में सचिव (सुरक्षा) का पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर सकते हैं। यदि परीक्षा आयोजित करने वाले सांविधिक निकाय की ओर से किसी सीपीएसई / राज्य पीएसयू द्वारा परीक्षा आयोजित की जा रही है, तो वे भी परीक्षा आयोजित करने वाले सांविधिक निकाय से इस बावत एक पत्र के साथ सभी दृष्टि से पूर्ण निर्धारित प्रपत्र में भरकर अनुमति प्राप्त कर सकते हैं।
5. परीक्षा आयोजित करने वाले निकाय पर्याप्त समय पहले उनके द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं का एक कैलेण्डर भी प्रस्तुत कर सकते हैं जिसमें जैमर लगाने के लिए चयनित केन्द्रों के विवरण हो ताकि इस कार्यालय द्वारा पूरे वर्ष के लिए समेकित स्वीकृति प्रदान की जा सके।
6. जैमर के प्रचालन की जिम्मेदारी संबंधित वेन्डर की होगी और वेन्डर को उपकरण का कार्यकरण और प्रभावकारिता सुनिश्चित करनी होगी। इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि परीक्षा केन्द्र पर किसी भी स्थानीय व्यक्ति द्वारा कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है।
7. प्रत्येक परीक्षा के समापन के पश्चात् इस बावत एक प्रमाणपत्र भी लिया जा सकता है कि लगाए गए जैमरों का उचित हिसाब रखा गया है और कोई भी जैमर गुम नहीं हुआ है।

8. जैमर लगाने पर होने वाले व्यय को परीक्षा आयोजित करने वाले निकायों द्वारा वहन किया जाएगा और यह भुगतान परीक्षा के दिन लगाए गए जैमरों की संख्या के लिए ही किया जाएगा।
9. जैमरों के सुरक्षित रख-रखाव की जिम्मेदारी मान्यता प्राप्त वेन्डरों की होगी और वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि ये जैमर बदलती प्रौद्योगिकियों के अनुरूप हों।

### **सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वेन्डरों के पंजीकरण हेतु प्रक्रिया**

विनिर्माण की अपेक्षित क्षमता और आवश्यक प्रौद्योगिकी के साथ केन्द्र सरकार या राज्य सरकार का कोई भी उपक्रम जैमर विनिर्माता के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है। वे प्रस्तावित उपस्कर संबंधी विनिर्देशों, प्रौद्योगिकी के स्रोत, मॉडल, मेक और नाम आदि का ब्यौरा देते हुए, सचिव (सुरक्षा), मंत्रिमंडल सचिवालय को अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं।

आवेदनों पर संबंधित एजेंसियों के परामर्श से कार्रवाई की जाएगी। पीएसयू वेन्डरों को पैनलबद्ध किया जाना, समुचित जैमिंग तकनीक, विनिर्माण क्षमता, वित्तीय सक्षमता, अखिल भारतीय आधार पर जैमर लगाने की क्षमता, बिक्री के बाद सेवा प्रदान करने की क्षमता, जैमिंग तकनीक को लगातार उन्नत करते रहने की क्षमता पर निर्भर होगा। पीएसयू द्वारा प्रस्तावित जैमर मॉडलों का अधिकारियों के बोर्ड द्वारा पूर्व मूल्यांकन किया जाएगा।

## जैमरों के स्वीकृत मॉडल (21 फरवरी, 2023 तक)

रक्षा बलों/सीएपीएफएस/राज्य पुलिस/जेल प्राधिकारियों/परीक्षा आयोजित करने वाले सांविधिक निकायों द्वारा अधिप्राप्ति/ लगाए जाने हेतु निम्न प्रकार के जैमर्स की स्वीकृति दी गई है:-

क्र. सं.	कंपनी का नाम	जैमर मॉडल
<b>वाहनों पर लगाए जाने वाले जैमर</b>		
1.	मैसर्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल)	स्ट्राइड एमके-1
2.	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल)	एसवीजेईई-1100
3.	ईसीआईएल	ईसी - एसवीजेईई -1100 यू (20 मेगाहर्ट्ज - 6000 मेगाहर्ट्ज)
4.	ईसीआईएल	ईसी - एसपीजेई -400
<b>ड्रोन जैमर किट्स</b>		
5.	बीईएल	स्ट्राइड एमके-1 हेतु सुसंगत ड्रोन जैमर किट
6.	ईसीआईएल	एसवीजेईई-1100 हेतु सुसंगत ड्रोन जैमर किट
<b>स्टैटिक सेल फोन जैमर्स</b>		
7.	बीईएल	जेटीएलएस-201
8.	बीईएल	जेटीएलएस -301 (4जी तक की कनेक्टिविटी हेतु)
9.	ईसीआईएल	एसजेजेई -200
10.	ईसीआईएल	ईसीएचपी -3962 एच
11.	ईसीआईएल	ईसी - एसजेजेई -200 एम1 (4जी तक की कनेक्टिविटी हेतु)
<b>मैनपैक / पोर्टेबल मिनी जैमर्स</b>		
12.	बीईएल	बीएमजे -500
13.	बीईएल	स्ट्राइड एमके-III (पोर्टेबल मिनी जैमर)
14.	ईसीआईएल	ईसी-एसएमजे-30
15.	ईसीआईएल	ईसी-एसडीजे-मार्क 1 (400 मेगाहर्ट्ज - 6000 मेगाहर्ट्ज - हवाई आर सी आई ई डी खतरों हेतु)

<b>कम क्षमता वाले जैमर्स</b>		
16.	बीईएल	सीजेआर 05 (4जी तक की कनेक्टिविटी हेतु) सीजेआर 02 (3जी तक की कनेक्टिविटी हेतु)
17	बीईएल	बी41/वाई-फाई (5 गीगाहर्ट्ज) एप्लिक यूनिट युक्त सीजेआर 05
18.	बीईएल	सीजेआर 06 (5जी तक और वाई-फाई कनेक्टिविटी हेतु)
19.	ईसीआईएल	ईसी एसजे 555 बी (3जी तक की कनेक्टिविटी हेतु)
20.	ईसीआईएल	ईसी - सीआरजे -6बी5 (यह जैमर मॉडल उन स्थानों पर प्रयोग किया जाना चाहिए जहां 100 मी. के दायरे में कोई बीटीएस न हो।)
21.	ईसीआईएल	ईसी-एसजे-555बी1 रूम सैल फोन जैमर
22।	ईसीआईएल	ईसी-एसजे-555बी1 रूम सैल फोन जैमर (5जी और वाई-फाई सहित)

\*\*\*\*\*

## हमसे संपर्क करें

सचिव (सुरक्षा) का कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, सचिव (सुरक्षा), मंत्रिमंडल सचिवालय, भारत सरकार के अधीन कार्य करता है। संपर्क विवरण निम्नवत है -

कमरा # 226-ए, नॉर्थ ब्लॉक  
नई दिल्ली- 110001  
दूरभाष/फैक्स: 23093763

\*\*\*

## अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

**प्रश्न. जैमर्स कौन खरीद सकता है/ कौन उनका प्रयोग कर सकता है?**

**उत्तर.** भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग, राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन (रक्षा बल, केन्द्रीय सुरक्षा संगठन, पुलिस विभाग और जेल प्राधिकारी), और भारत सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के परीक्षाएं आयोजित करवाने वाले सांविधिक निकायों द्वारा जैमर्स को खरीदा जा सकता है/उनका उपयोग किया जा सकता है।

भारत में निजी क्षेत्र के संगठन जैमर्स की अधिप्राप्ति नहीं कर सकते हैं / अथवा उनका प्रयोग नहीं कर सकते हैं।

**प्रश्न. जैमर्स की अधिप्राप्ति के लिए अनुमति देने वाला नोडल प्राधिकारी कौन है?**

**उत्तर.** जैमर्स की अधिप्राप्ति के लिए अनुमति प्रदान करने वाला नोडल प्राधिकारी सचिव (सुरक्षा), मंत्रिमंडल सचिवालय, भारत सरकार हैं।

**प्रश्न. अनुमति कैसे प्रदान की जाती है?**

**उत्तर.** जैमर्स की अधिप्राप्ति से पहले, निर्धारित प्रोफार्मा-I (हाइपरलिंक) में सचिव (सुरक्षा), मंत्रिमंडल सचिवालय से पूर्व अनुमति अवश्य ली जानी चाहिए। जैमर्स की अधिप्राप्ति के लिए अनुमति प्राप्त करने हेतु प्रोफार्मा-I [www.cabsec.nic.in](http://www.cabsec.nic.in) से डाउनलोड किया जा सकता है।

**प्रश्न. कौन-सा जैमर्स मॉडल खरीद सकते हैं?**

**उत्तर.** मैसर्स ईसीआईएल और मैसर्स बीईएल द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले जैमर्स मॉडलों का एसपीजी और आईबी द्वारा मूल्यांकन किया जाता है और केवल उन्हीं मॉडलों की अधिप्राप्ति की जा सकती है जिन्हें एसपीजी और आईबी द्वारा उपयुक्त पाया गया हो।

**प्रश्न. क्या मैं किसी भी एजेंसी से जैमर्स खरीद सकता हूँ?**

**उत्तर.** अनधिकृत विनिर्माताओं से खुली निविदा आमंत्रित करना भारत सरकार की नीति का उल्लंघन है। वर्तमान में, केवल ईसीआईएल/बीईएल द्वारा विनिर्मित और एसपीजी और आईबी द्वारा मूल्यांकन किए गए जैमर्स मॉडल ही खरीदे जा सकते हैं।

**प्रश्न.** क्या भारत में जैमरों का आयात करके लाया जा सकता है?

**उत्तर.** जी नहीं, इसके लिए डीजीएफटी से लाइसेंस प्राप्त करना अपेक्षित है।

**प्रश्न.** परीक्षा आयोजित करवाने वाले सांविधिक निकायों को अनुमति कैसे मिलती है?

**उत्तर.** उपरोक्त प्रक्रिया अपनाई जाती है। ये निकाय जैमर नहीं खरीद सकते, अपितु स्वीकृत वेन्डरों (वर्तमान में मैसर्स ईसीआईएल और मैसर्स बीईएल) से पट्टा आधार पर जैमर्स लेकर परीक्षा हॉल में जैमर लगा सकते हैं। तथापि, परीक्षा आयोजित करवाने वाले निकायों को इस बात के लिए कहा जाता है कि वे इस कार्यालय को अपना वार्षिक परीक्षा कैलेण्डर उपलब्ध कराएं ताकि एक ही बार में वार्षिक आधार पर अनुमति प्रदान की जा सके। इस प्रयोजनार्थ, परीक्षा आयोजित करवाने वाले निकायों से अनुरोध किया जाता है कि वे सभी प्रकार से पूर्ण प्रोफार्मा-II (हाइपरलिंक) में अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

**अधिकारियों के बोर्ड (बी.ओ.ओ.) द्वारा जैमरों के संयुक्त मूल्यांकन हेतु प्रपत्र**

मैसर्स .....द्वारा परीक्षण मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत जैमर मॉडल .....का बी.ओ.ओ. द्वारा .....से..... तक मूल्यांकन किया गया।

तकनीकी कार्यशाला, एसपीजी, 1, सफदरजंग लेन, नई दिल्ली में .....से..... तक प्रयोगशाला परीक्षण किए गए। फील्ड परीक्षण नीचे दिए गए स्थलों और तिथियों पर किए गए थे:

- (i) .....(स्थान) ..... (दिनांक)
- (ii) .....(स्थान) ..... (दिनांक)
- (iii) .....(स्थान) ..... (दिनांक)
- (iv) .....(स्थान) ..... (दिनांक)
- (v) .....(स्थान) ..... (दिनांक)

फील्ड परीक्षण के दौरान फर्म द्वारा प्रस्तुत जैमर मॉडल.....(फ्रीक्वेंसी रेंज..... मेगा हर्ट्ज से.....मेगा हर्ट्ज; आरएफ आउटपुट .....(वाॅट) संतोषजनक पाया गया और यह तकनीकी विनिर्देशों के अनुरूप है (बी.ओ.ओ. द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रतिलिपि परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न) जो निम्नलिखित टिप्पणियों के अधीन है:

- क) .....
- ख) .....

अथवा

फील्ड परीक्षण के दौरान मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत जैमर मॉडल संतोषजनक नहीं पाया गया और इस संबंध में टिप्पणियां निम्नवत हैं :

- क) .....
- ख) .....
- ग) .....
- घ) .....
- ङ.) .....

बी.ओ.ओ. द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रयोगशाला परीक्षण और फील्ड परीक्षण रिपोर्ट का विवरण क्रमशः परिशिष्ट-II और परिशिष्ट-III के रूप में संलग्न है।

फर्म, मूल्यांकन की संपूर्ण प्रक्रिया से संतुष्ट थी और इस आशय का प्रमाण-पत्र परिशिष्ट-IV के रूप में संलग्न है, जो फर्म के प्रतिनिधि और बी.ओ.ओ. द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित है।

( ) ( ) ( ) ( )

सदस्य-IV

सदस्य-III

सदस्य -II

सदस्य-I

अनुलग्नक - 1 (क)

इलेक्ट्रॉनिक जैमरों की अधिप्राप्ति के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु आवेदन

1	खतरे की आशंका	
(क)	वीआईपी को खतरे की आशंका का संक्षिप्त विवरण दिया जाए।	
(ख)	पिछले तीन वर्ष के दौरान प्राप्त राज्यों से रिपोर्ट के अनुसार उन मामलों की संख्या जिनमें विस्फोटकों का इस्तेमाल किया गया है तथा इनमें प्रयुक्त ट्रिगर उपकरण का ब्यौरा।	
(ग)	वीआईपी को किस प्रकार के खतरे की आशंका है तथा किस ग्रुप से यह खतरा हो सकता है।	
(घ)	क्या राज्य/संगठन में वीआईपी की सुरक्षा के लिए इलेक्ट्रॉनिक जैमर का प्रयोग आवश्यक है? राज्य में बरामद आरसीआईडी, यदि कोई हो/आरसीआईडी की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेन्सी और ऐसे मामलों की संख्या के विवरण सहित कारणों का उल्लेख करें।	
2 (क)	क्या राज्य/संगठन के पास कोई इलेक्ट्रॉनिक जैमर है? यदि हां, तो निम्नलिखित विवरण दें - मेक मॉडल फ्रीक्वेन्सी रेंज पावर आउटपुट जैमिंग रेंज इसकी वर्तमान प्रचालन स्थिति - मरम्मत योग्य / मरम्मत योग्य नहीं	
(ख)	लगाने का प्रस्तावित उद्देश्य बताएं।	
(ग)	अपेक्षित जैमिंग फ्रीक्वेन्सी और क्षमता मांग का उल्लेख करें (तकनीकी विनिर्देश संलग्न करें)।	

**अनुलग्नक - I (ख)**  
**एचएफ/एचवीएफ/यूएचएफ फ्रीक्वेन्सी जैमर**

यदि प्रस्ताव एचएफ/वीएचएफ/यूएचएफ फ्रीक्वेन्सी जैमरों के लिए है तो कृपया निम्नलिखित जानकारी दें -

I (क)	स्पष्ट करें कि प्रस्ताव देश में विकसित जैमर के लिए है या आयातित उपस्कर के लिए ।		
(ख)	यदि प्रस्ताव आयातित जैमर के लिए है, तो कृपया इस विकल्प का औचित्य बताएं।		
II	<p>(क) प्रस्तावित जैमरों के नाम तथा मॉडल सं.</p> <p>(ख) विनिर्माता/आपूर्तिकर्ता</p> <p>(ग) जैमर का प्रकार</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. वाहन पर लगने वाला</li> <li>2. पोर्टेबल</li> <li>3. स्टेटिक</li> </ol> <p>(घ) जैमिंग तकनीक का प्रकार</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. बैराज</li> <li>2. स्वीप</li> <li>3. हाईब्रिड</li> <li>4. किसी अन्य तकनीक का है तो नाम बताएं</li> </ol>		
(ड)	फ्रीक्वेन्सी रेंज		
(च)	कुल आउटपुट पावर		
(छ)	<p>बैंड की संख्या तथा प्रत्येक बैंड की फ्रीक्वेन्सी. एवं आउटपुट पावर।</p> <p>निम्नलिखित की फ्रीक्वेन्सी रेंज:</p> <p style="text-align: center;">बैंड I बैंड II बैंड III बैंड IV</p>	फ्रीक्वेन्सी रेंज	आउटपुट पावर
(ज)	<p>इनपुट पावर</p> <p>एसी सप्लाई</p> <p>डीसी सप्लाई</p>		

(झ)	एन्टीना सं. तथा प्रयुक्त टाइप का विवरण (1) ओमनी डायरेक्शनल (2) डायरेक्शनल (3) कोई अन्य टाइप	
III (क)	उपस्कर का जैमिंग अनुपात/म्यूटिंग अनुपात	
(ख)	न्यूनतम 5 वाट आउटपुट के मानक ट्रान्समीटर सिग्नलों के लिए दावा की गई जैमिंग रेंज।	
(ग)	उपस्कर का वजन तथा परिमाण।	
(घ)	क्या जैमर विस्फोट-पूर्व प्रभाव को दर्शाता है? यदि हां, तो किस प्रकार के उपकरणों पर।	
IV (क)	अधिसूचित स्वास्थ्य संबंधी खतरा, यदि कोई हो, और दिए गए सुरक्षा उपाय।	
(ख)	क्या जैमर में निम्नलिखित से बचाव की व्यवस्था है: (i) ओवर हीटिंग (ii) पोलारिटी रिवर्सल (iii) ओवरलोडिंग	
(ग)	क्या निम्नलिखित के लिए प्रावधान हैं? (1) सेवा और रखरखाव अवसंरचना (2) 10 वर्षों की अवधि के लिए स्पेयर पार्ट्स (3) भविष्य में मांगों की पूर्ति हेतु अपग्रेडेशन	
V	क्या प्रस्तावित जैमर सभी प्रचालनात्मक अपेक्षाओं को पूरा करता है? भिन्नता, यदि कोई हो, बताएं	
VI	प्रस्तावित इलेक्ट्रॉनिक जैमर की अनुमानित लागत क) अमेरिकी डॉलर में ख) भारतीय रुपए में	

**अनुलग्नक । ग**  
**सेल्युलर फोन जैमर**

यदि प्रस्ताव सेल्युलर फोन जैमर के लिए है तो कृपया निम्नलिखित जानकारी दें -

1	प्रस्तावित सेल्युलर फोन जैमर का प्रयोजन/लगाने का स्थान	
2	राज्य में / परिचालन क्षेत्र में उपलब्ध सेल फोन सेवाओं का विवरण। सीडीएमए जीएसएम 900 जीएसएम 1800 कोई अन्य मानक	
3	स्पष्ट करें कि प्रस्ताव किसके लिए है: (क) स्वदेशी विकसित सेल फोन जैमर के लिए या आयातित उपकरण के लिए (ख) यदि प्रस्ताव आयातित जैमर के लिए है तो कृपया इस विकल्प का औचित्य बताएं।	
4	प्रस्तावित जैमर का नाम और मॉडल सं. का ब्यौरा	
	विनिर्माता	
	आपूर्तिकर्ता फर्म	
5 (क)	सेल फोन जैमर का प्रकार (i) वाहन पर लगने वाला / (ii) स्टैटिक (iii) पोर्टेबल	
(ख)	सेल फोन सिग्नल मानक जिनके लिए जैमिंग प्रदान की गई है। (1) सीडीएमए (2) जीएसएम-900 (3) जीएसएम-1800 (4) कोई अन्य	
(ग)	जैमिंग तकनीक (1) बैराज (2) स्वीप (3) हाइब्रिड (4) कोई अन्य प्रौद्योगिकी	
(घ)	एन्टीना का प्रकार	

	<p>(1) ओमनी डायरेक्शनल</p> <p>(2) डायरेक्शनल</p> <p>(3) ओमनी डायरेक्शनल (आंशिक) प्रभाव के लिए डायरेक्शनल एन्टीना</p> <p>(4) कोई अन्य प्रकार</p>	
(ड.)	<p>(i) आउटपुट पावर/एन्टीना</p> <p>सीडीएमए</p> <p>जीएसएम 900</p> <p>जीएसएम 1800</p> <p>(ii) कुल आउटपुट पावर</p>	
(च)	<p>इनपुट पावर</p> <p>(i) एसी मेन सप्लाइ</p> <p>(ii) डीसी इन्टर्नल</p> <p>(iii) डीसी एक्सटर्नल</p>	
(छ)	<p>दावा की गई जैमिंग रेंज</p> <p>(i) सिग्नल कटिंग रेंज (आरएक्स मॉड ऑपरेशन)</p> <p>(ii) कॉल कटिंग रेंज (टीएक्स मॉड ऑपरेशन)</p>	
6	उपस्कर का वजन और परिमाण	
7	स्वास्थ्य संबंधी जोखिम और प्रदत्त सुरक्षा उपाय	
8	<p>क्या जैमर के अंदर निम्नलिखित से दी गई सुरक्षा व्यवस्था मौजूद है:</p> <p>(1) ओवर हीटिंग</p> <p>(2) ओवर लोडिंग</p> <p>(3) पोलारिटी रिवर्सल</p>	
9	क्या जैमर के सिस्टम में अतिरिक्त फ्रीक्वेंसी/ भविष्य में अपग्रेडेशन के लिए सुधार हेतु प्रावधान है?	
10	<p>क्या निम्नलिखित के लिए प्रावधान है?</p> <p>(1) सेवा और रखरखाव अवसंरचना</p> <p>(2) दस वर्षों की अवधि के लिए स्पेयर पार्ट्स</p> <p>(3) भविष्य में मांग को पूरा करने हेतु अपग्रेडेशन</p>	
11	क्या प्रस्तावित इलेक्ट्रॉनिक जैमर सभी प्रचालन अपेक्षाओं को पूरा करता है? भिन्नता, यदि कोई हो, तो बताएं।	
12	<p>प्रस्तावित सेल फोन जैमर की अनुमानित लागत</p> <p>ग) अमेरिकी डॉलर में</p> <p>घ) भारतीय रु. में</p>	

शैक्षणिक/भर्ती परीक्षाओं के दौरान जैमर लगाए जाने के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु आवेदन

क्र. सं.		
1.	संगठन का नाम	
2.	जैमर लगाने की तारीख	से तक
3.	परीक्षा केन्द्रों का पता जहां जैमर लगाए जाने का प्रस्ताव है	
4.	क्या अनुचित तरीके अपनाए जाने की संभावना को ध्यान में रखते हुए केन्द्रों का आकलन किया गया है?	हां / नहीं
5.	प्रत्येक परीक्षा केन्द्र में लगाए जाने वाले जैमरों की संख्या	
6.	जैमर की आपूर्ति करने वाले वेन्डर का नाम	
7.	उन गोदामों का पता जहां से जैमर लगाए जाने का प्रस्ताव है	

जैमर के तकनीकी विनिर्देश संलग्न हैं (अनुलग्नक-1)

प्रमाणित किया जाता है कि परीक्षा केन्द्रों में जैमर लगाए जाने के दौरान इनकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि परीक्षा केन्द्रों में लगाए जाने वाले प्रत्येक जैमर का हिसाब रखा जाएगा और इस संबंध में किसी भी विसंगति की रिपोर्ट तत्काल समुचित स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेन्सी और सचिव (सुरक्षा) के कार्यालय को सूचित किया जाएगा।

जैमर लगाते समय, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जैमर्स से परीक्षा केन्द्रों के बाहर मोबाइल संचार नेटवर्क में कोई बाधा उत्पन्न न हो।

हस्ताक्षर

(नाम)

(पदनाम)